कार्यालय–वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रांक– 891 /33–1, दिनांक गोण्डा, सितम्बर 13 /2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद गोण्डा में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/151936/2022)

संदर्भः– आपका पत्रॉक–965/11–सी– FP/UP/Road/151936/2022, दिनॉक 12.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्रॉक–816/33–1, दिनॉक 07.09.2022 द्वारा जनपद गोण्डा में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा गया था, जिस पर आप द्वारा 08 बिन्दुओं पर आपत्ति उठायी गई है, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया। ततकम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रॉक–955/33–1, दिनॉक 13.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव से सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–प्रस्ताव, सी0डी0, पेनड्राइव, 3 प्रतियॉ मूल में।

भवदीय,

13/9/22

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रॉक–955/33–1, दिनॉक 13.09.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

पत्रांक 955 /15–1, दिनांक, सितम्बर 13 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– जनपद गोण्डा में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 2.48 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 965/11सी0 दिनांक 12.09.2022 एवं आपका पत्रांक 885/33–1 दिनांक 12.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर उत्तरालेख निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	आपत्तियों का विवरण	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव में संलग्न किए गये प्रस्तावित वन भूमि के जियो रिफरेन्श डिजिटल मैप पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः हस्ताक्षर युक्त जियो रिफरेन्श डिजिटल मैप प्रस्ताव में संलग्न करें।	हस्ताक्षर युक्त जियो रिफरेन्श मैप संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में भू–स्वामित्व विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है जो कि स्वीकार नहीं है। अतः भू–स्वामित्व विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	रेलवे का अनापत्ति संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मलबा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	मलबा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में लगाकर संलग्न कर दिया गया है।
4	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पटटी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पटटी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में प्रयोजना की लागत भिन्न–भिन्न है। अतः एक समान परियोजन की लागत ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में अंकित करें।	ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में समान परियोजना की लागत अंकित कराकर संलग्न कर दिया गया है।
6	हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक 7 में बाधक वृक्षों को शून्य दर्शाया गया है। जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही बाधक वृक्षों की संख्या, हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक 7 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	सही बाधक वृक्षों की संख्या हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक 7 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
7	ऑनलाइन भाग–2 में सी0ए0 स्थल का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल 0.77 हे0 फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल का क्षेत्रफल 0.77 हे0 फीड कर दिया गया है।
8	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार हार्डकापी 4 प्रतियों में।

V.F.C
[illegible] 13/9/22

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग,गोंडा।

Scanned by CamScanner